

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट "Awareness and Management of Diabetes Mellitus in Rural areas of Bhopal" under Public Health Initiatives (PHI) Scheme के क्रियान्वयन हेतु

प्रोजेक्ट मैनेजर के साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों की सूची

विज्ञापन संख्या – जी-15567/20

साक्षात्कार तिथि – 11/01/2021

साक्षात्कार समय – 11 बजे

साक्षात्कार का स्थान – कॉन्फ्रेंस रूम, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, नेहरू नगर कोलार बायपास रोड, साइंस हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्र.	आवेदक का नाम	पिता का नाम
1.	राहुल कुमार	श्री भंवर सिंह
2.	प्रमोद चन्द्र द्विवेदी	श्री हरी हर प्रसाद द्विवेदी
3.	डॉ. दीपक कुमार सोनी	श्री रामलाल सोनी
4.	अमित मिश्रा	श्री अवधेश मिश्रा
5.	संजय कुमार गुप्ता	श्री राम शिरोमणी गुप्ता
6.	नेहा प्रजापति	श्री गुलाब चंद प्रजापति
7.	डॉ. अंकित कुमार अग्रवाल	श्री हेमंत कुमार अग्रवाल

आवश्यक सूचना:-

- (1) प्रदर्शित आवेदकों की सूची प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्मित है एवं मूल दस्तावेजों से मिलान के पश्चात् ही अनिवार्य योग्यता इत्यादि शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित होगी।
- (2) साक्षात्कार हेतु विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता धारक आवेदकों को ही आमंत्रित किया गया है।
- (3) साक्षात्कार हेतु बुलाए गए आवेदक किसी भी प्रकार से चयन का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।
- (4) उक्त प्रक्रिया की जानकारी केवल वेबसाइट www.klsgaci.edu.in के माध्यम से ही दी गई है। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त अन्य जानकारी का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- (5) विज्ञापन में ही वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुरूप आवेदक अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज मिलान हेतु एवं एक छायाप्रति (स्वप्रमाणित) लेकर आवें। प्रमुखतः जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र, मान्य पहचान पत्र, अर्हकारी डिग्री/अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, वर्ग/जाति प्रमाण पत्र, की मूल प्रतियाँ साथ लेकर आवें।
- (6) साक्षात्कार के पूर्व आवेदक इस आशय का शपथ पत्र (100 रुपये के स्टाम्प पर) प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है। जिन आवेदकों ने आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें पुनः शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- (7) प्रोजेक्ट अंतर्गत साक्षात्कार हेतु आवेदकों को किसी भी प्रकार आवागमन भत्ता/साक्षात्कार भत्ता नहीं दिया जावेगा।
- (8) साक्षात्कार हेतु बुलाए गए सभी आवेदकों को (कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य में) सूचित किया जाता है कि मास्क, सेनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।
- (9) प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्य समाप्ति के पश्चात् अथवा भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में अथवा अधिकतम 03 वर्ष जो भी पहले हो पर कार्यकाल स्वयमेव समाप्त हो जावेगा जिसकी पूर्व सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी। चयनित अभ्यर्थी को नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करना होगा एवं किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त होने से पूर्व मुख्यालय की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (10) प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

Abell Dept

Q.